उत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजीनियरिंग), उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदा प्रणाली द्वारा जिसकी अंतिम निविदा तिथि दिनांक **08.02.2018** को **15.00** बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा के मैनुयल ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे यदि कोई मैनुयल ऑफर आता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म का मूल्य व धरोहर राशि का भुगतान केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन भुगतान प्रणाली में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपॉजिट रसीद, एफडीआर द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। **(1) निविदा सूचना संख्याः** 00102018 दिनांक 03.01.2018 **(2) कार्य का नामः** लखनऊ मंडल में परियावाँ स्टेशन पर बैलास्ट डिपो में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल हेतु आर.डी. एस.ओ. लखनऊ के ट्रैक बैलास्ट हेतु जारी की गई स्पेसीफिकेशन सं. जून 2004 की आई.आर. एस जी.ई–आई तथा चीफ इंजीनियर के सरकूलर संख्या 257 के अनुसार परियावाँ डिपों में 60000 घन मीटर 65 एम एम साइज मशीन द्वारा तोड़ी गई गिट्टी की आपूर्ति चट्टा लगाना एवं मेकेनिकल लोडिंग का कार्य किया जाना। **(3) अनुमानित लागतः** रु. 9,14,99,310.00 **(4) धरोहर राशिः** रु. 6,07,500.00 **(5) कार्य की समापन अवधिः** स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से नौ माह। **(6) निविदा डालने का प्रारंभः** 25.01.2018. **(7) निविदा बंद होने की तिथि एवं समयः** 08.02.2018, 15.00 बजे। **(8) वेबसाईटः** www.ireps.gov.in. **(9) निविदा प्रपत्र का मूल्यः** रु. 10,000/- **(10) पात्रता की शर्तेंः (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में समान रूप का कम से कम एक कार्य पूरा किया गया हो (पिछले तीन वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष):** प्रकाशित निविदा कार्य की लागत का 35 प्रतिशत कम से कम एक समान प्रकृति का कार्य प्रमुख इंजीनियर प्रपत्र सं. 610 (संशोधित) दिनांक 20.07.2010 के अनुसार क्र. सं. 1 **''मशीन द्वारा तोड़ी गई पत्थर की गिट्टी की रेलवे की आपूर्ति''** का एक कार्य पूरा किया हो। **(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त कुल निविदा राशि (पिछले तीन वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष):** प्रकाशित निविदा कार्य की लागत का कम से कम 150% होना चाहिए। **नोटः** ''तकनीकी और वाणिज्यक प्रस्तावों के खुलने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज की प्रस्तुति एवं उससे संबंधित निविदा उपरान्त किसी प्रकार के पत्राचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निविदादाता के निविदा उपरान्त पत्रों को भी शून्य एवं प्रभावहीन माना जाएगा।'' (प्रधान कार्यालय उ. रे. नई दिल्ली का पत्र सं. 74-W/O/Pt.XXV/WA/Loose दिनांकः 07.04.2015.) **60/2018**